रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D(D)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 363] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15, 1980/कार्तिक 24, 1902
No. 363] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15, 1980/KARTIKA 24, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त विभाग

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1980

अधिसूचना

सा. का. नि. 654(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1978(1978 का 25) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 176/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 12 अक्तूबर, 1980 को अधिक्रान्त करते हुए, 17 नवम्बर, 1980 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 21

4. उपबन्ध, जहां तक उनका सम्बन्ध केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में नई धारा 11-क और 11-ख के अन्तःस्थापन से है, प्रवृत्त होंगे ।

[अधिसूचना सं. 182/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/फा. सं. 209/3/डब्ल्यू./78/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क 6]

सी. एन. बालकृष्णन नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 15th November, 1980

NOTIFICATION

G.S.R. 654(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Customs, Central Excises and Salt and Central Boards of Revenue (Amendment) Act, 1978 (25 of 1978), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 176/80-CE, dated the 12th November, 1980, the Central Government hereby appoints the 17th day of November, 1980, as the date on which the provisions of section 21 of the said Act in so far as they relate to the insertion of new sections 11A and 11B in the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), shall come into force.

[Notification No. 182/80-CE. F. No. 209/3/W/78 CX 6]

C. N. BALAKRISHNAN NAIR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980